



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-30092021-230077
CG-RJ-E-30092021-230077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3697]
No. 3697]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 3 सितम्बर, 2021

का.आ. 4031 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य में फुलेरा-डेगाना दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जिला-जयपुर, राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में फुलेरा-डेगाना दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना (फुलेरा, उपखण्ड सांभर लेक) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम जयपुर

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
1.	सांभरलेक	फुलेरा	689/1	0.00069
		फुलेरा	689/1	0.00120
		योग		0.00189

[फा. सं. उपरे/मु./स.& नि./443599200/ vol-I]

बृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 3rd September, 2021

S.O. 4031(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed here to, is required for execution, of the Special Railway Project, of Namely: Phulera- Degana Doubling **project** in **District Jaipur** in the State of **Rajasthan**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Division **officer, Sambhar lake, District Jaipur, Rajasthan**, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for Special Railway Project, Namely: **Phulera-Degana Doubling project (for Phulera Sub division Sambhar lake of district Jaipur)** in the State of **Rajasthan**.

Sr. No.	Name of the sub Division	Name of the Village	Survey Number/Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Sambhar Lake	Phulera	689/1	0.00069
		Phulera	689/1	0.00120
		Total		0.00189

[F. No. -NWR/HQ/S&C 443599200 Vol.I]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Admin. Officer (Const.)